हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था,
प्लाट न० बी० 11-12, सैक्टर-14,
पंचकुला ।

क्रमांक 2-63-85   दिनांक 8/12/97

सेवा में

मुख्य बीज प्रमाणीकरण अधिकारी,
करनाल, हिसार, सिरसा ।

विषयः   संसाधन संयन्त्र के पंजीकरण के लिये निर्देश ।

महोदय,

केन्द्रीय बीज प्रमाणीकरण बोर्ड द्वारा प्रमाणीकरण के कार्य हेतु पंजीकृत किये जाने वाले संसाधन संयंत्रों के लिये जो दिशा निर्देश जारी किये गये थे, उनको संस्था के गवर्निंग बोर्ड से अनुमोदित कर दिया है । इन दिशा निर्देशों एवं नियमों के अनुसार एवं हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा अब केवल उन्हीं नये संसाधन संयंत्रों का प्रमाणीकरण हेतु पंजीकरण किया जायेगा, जो निम्नलिखित शर्तों का पालन करेंगे:-

1. <u>संसाधन संयन्त्र के लिये आवश्यक यन्त्र</u> :- पंजीकरण किये जाने वाले संसाधन संयन्त्रों पर निम्नलिखित यन्त्र होने अनिवार्य हैं :-

a) Scalper/Precleaner   b) Cleaner/Grader
c) Indented cylinder   d) Seed Drier
e) Moisture Tester   f) Gravity separator
g) Seed Treater   h) Bagger
i) Bag closer   j) Weighing balance

उपरोक्त यन्त्रों में से ए, डी, एफ तथा एच पर दिये गये यन्त्रों का विवरण पंजीकरण/ [illegible] के प्रोफोरमें के कालम न० 14-डी में ही भर कर लिया जाये। बाकी यन्त्र इस प्रोफोरमा में पहले से ही दिये हुये है ।

2. <u>संसाधन संयन्त्रों के पंजीकरण हेतु अन्य शर्तें</u>:- उपरोक्त क्रम संख्या 1 में दिये गये यन्त्रों के अलावा पंजीकरण हेतु जिन संसाधन संयन्त्रों के आवेदन आपको प्राप्त हों उनके लिये निम्न शर्तों को पूरा करना भी अनिवार्य है:-

(क) संसाधन संयन्त्र ऐसे उपयुक्त भवन में होना चाहिये जिसमें हवा आने जाने, प्राकृतिक एवं कृत्रिम प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था हो । भवन की दिवारें, छत एवं फर्श लीक प्रूफ, टूट फूट एवं दरारों से मुक्त होनी चाहिए।

(ख) भवन में कार्य करने, रा-सीड के भण्डारण तथा संसाधित किये गये बीज को इस प्रकार ढक कर रखने के लिये कि बीज की गुणवत्ता में किसी भी कमी की सम्भावना न रहे, के लिये काफी जगह होनी चाहिये ।

अगले पृष्ठ पर

(ग) संसाधन संयन्त्र की क्षमता इतनी होनी चाहिये जिससे कि प्रमाणीकरण संस्था के अधिकारियों की सेवाओं का पर्याप्त उपयोग हो सके ।

(घ) संसाधन संयन्त्र का डिजाइन, निर्माण, संचालन एवं प्रबन्धन इस प्रकार का होना चाहिये जिससे बीज की गुणवत्ता न्यूनतम प्रभावित हो ।

(ङ) संसाधन संयन्त्र पर तैयार किये जाने वाले रिकार्ड एवं उसकी देखरेख की उचित व्यवस्था होनी चाहिये ।

(च) संसाधन संयन्त्र ऐसी जगह स्थापित होना चाहिये जहाँ सुगमता से पहुँचा जा सके ।

उपरोक्त क से च तक में दी गई शर्तों को सम्बन्धित मुख्य बीज प्रमाणीकरण अधिकारी द्वारा साथ संलग्न प्रफोरमें में प्रमाणित करके पंजीकरण के फार्म के साथ मुख्यालय भेजा जायेगा ।

आपसे अनुरोध है कि इस पत्र की प्राप्ति तिथि के उपरान्त उन्हीं संसाधन संयन्त्रों को पंजीकरण करने के लिये इस कार्यालय में भेजा जाये जिन पर क्रम संख्या 1 में दिये गये सभी यन्त्र लगे हों तथा क्रम संख्या 2 में दी गई सभी शर्तों को पूर्ण करते हों ।

नवीकरण किये जाने वाले संसाधन संयन्त्रों के बारे में आवश्यक निर्णय के बारे में आपको अलग से सूचित किया जायेगा ।

संलग्न - उपरोक्तानुसार

भवदीय,

निदेशक